संख्या-14/2018/सा-3-312/दस-2018-308/2016

प्रेषक,

अलकनंदा दयाल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक: 01 मई, 2018

विषय: वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

महोदय,

वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन संशोधन के विषय में वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016, दिनाँक 23-12-2016, शासनादेश संख्या-23/2017-सा-3-329/दस-2017, दिनाँक 18-07-2017 एवं शासनादेश संख्या-31/2017-सा-3-524/दस-2017, दिनाँक 04-09-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- शासनादेश दिनाँक 18-07-2017 एवं 04-09-2017 के संदर्भ में शासन से इस संबंध में मार्गदर्शन माँगा जा रहा है कि दिनांक 01-01-2016 से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि दिनांक 01-01-2016 से लागू पे-मैट्रिक्स में समवर्ती लेवल में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत / 30 प्रतिशत से कम न होने की व्यवस्था लागू है अथवा नहीं।

3- इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण शासनादेश दिनांक 18-07-2017 सपठित शासनादेश दिनांक 04-09-2017 के अनुसार नोशनल रूप से निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण सेवानिवृत्त कार्मिक की अर्हकारी सेवा के आधार पर करते हुए किया जायेगा परन्तु उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23-12-2016, शासनादेश दिनांक 18-07-2017 सपठित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश दिनांक 04-09-2017 की व्यवस्थाओं के अधीन दिनाँक 01-01-2016 से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि दिनाँक 01-01-2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स के संगत पे-लेवल में न्यूनतम वेतन के क्रमश: 50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम नहीं होगी भले ही सेवानिवृत्त कार्मिक की अर्हकारी सेवा पूर्ण पेंशन हेतु आवश्यक अर्हकारी सेवा से कम हो।

4- यह आदेश दिनाँक 01-01-2016 से प्रभावी समझे जायेंगे।

भवदीया,
अलकनंदा दयाल
सचिव।

संख्या-14/2018/सा-3-312(1)/दस-2018, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक,पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 8वाँ तल] इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।